

फर्क आहकाम

मीना खाम पौधू व अन्त

300 II सांगानेर  
27/2016

शोक आना या कार्यवाही

मि फरक आहकाम विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

प्रकार में कृषि से बिना अनुमति जो कृषि उपकरण ली जा रही है वर्तमान में 30 प्रतिशत वादग्रस्त भूमि भाग पर पुर्वत मकानों के इले ही प्राथमिक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात फेरा नहीं किने जिससे गोक पर प्राथमिक का कब्जा ही पुनः वाद के निषेध साध्य सबूत व दस्तावेजात के आधार पर किस्ताएँ किया जावेगा। अतः प्राथमिक का प्रयत्न पर इसकी आस्था किपेधाना स्वीछ किया जात है। पन्नाकाली नम्बर 10 फरक दोकम काद तकरीक दाहिमपुत्र ही सुनकरगम।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

